वाद पत्र प्र.सं. 123/2018 अन्तर्गत 88 आरटीएक्ट 136 एलआरए
हरनाम सिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
05.01.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। वकील वादी के प्रार्थना करने पर तनकीयात कायम नहीं कर सीधे बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से चक 18 पीटीडी बी मु.नं. 22 प.नं. 282/351 के कि.नं. 1 ता 25 के 6.072है. कमाण्ड रकबा व इसी चक का मु.नं. 23 का कि.नं. 1 ता 25 में 6.198है. कमाण्ड रकबा कुल दोंनों रकबा में से वादी के नाम कुल 4.090है. रकबा बहिस्सा खातेदार दर्ज हैं। वादी का सही नाम राशन कार्ड परिचय पत्र अन्य दस्तावेजों में हरनाम सिंह अंकित हैं। नामान्तरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का से संहबन से हरनाम सहि की जगह पर जगसीर सिंह अंकित हो गया हैं जब कि उक्त रिकार्ड में अमलदरामद जो विरास्तन होने के कारण संहबन से नाम हरनाम सिंह की जगह जगसीर सिंह अंकित हो गया हैं। अतः चक 18 पीटीडी बी मु.नं. 22 प. नं. 282/351 के कि.नं. 1 ता 25 के 6.072है रकबा व इसी चक का मु.नं. 23 का कि.नं. 1 ता 25 में 6.198है. नहरी रकबा में प्रार्थी का ब हिस्सा कुल करबा 4.090है. नहरी रकबा में खातेदार बहिस्सा दर्ज में हरनाम सिंह की जगह जगसीर सिह दर्ज हो गया हैं। जिसे शुद्ध कर जगसीर सिंह उर्फ हरनाम सिंह पुत्र बलबीर सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाने हेतु निवेदन किया। इस संबंध में हरनाम सिंह द्वारा शपथ पत्र दिनांक 24.12.2018 पेश हुआ हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./18/4498 दिनांक 24.12.2018 अनुसार वादी का नाम जगसीर सिंह उर्फ हरनाम सिंह पुत्र बलवीर दुरूस्त किया जावे तो उचित होगा। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत हैं। लिहाजा उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा दिनांक 24.12.2018 के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 18 पीटीडी बी मु.नं. 22 प.नं. 282/351 के कि.नं. 1 ता 25 के 6.072है रकबा व इसी चक का मु.नं. 23 का कि.नं. 1 ता 25 में 6.198है. नहरी रकबा में बहिस्सा दर्ज भूमि में जगसीर सिंह के स्थान पर जगसीर सिंह उर्फ हरनाम सिंह की दुरूस्ती [illegible] हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। चूंकि राजस्व [illegible] भूमि बैंक के पक्ष में राहिन दर्ज हैं [illegible] की पालना सुनिश्चित की जावे। तद्नुसार [illegible] हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर [illegible] (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर

बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 150/2018

1. हरनाम सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति बावरी निवासी 18 पीटीडी बी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट
136 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांकः–05.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री उमेश कान्त सोनी अधिवक्ता वादी, राजपैरोकार प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है किः–

वाद वादी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 18 पीटीडी बी मु.नं. 22 प.नं. 282/351 के कि.नं. 1 ता 25 के 6.072है रकबा व इसी चक का मु.नं. 23 का कि.नं. 1 ता 25 में 6.198है. नहरी रकबा में बहिंस्सा दर्ज भूमि में जगसीर सिंह के स्थान पर जगसीर सिंह उर्फ हरनाम सिंह की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। चूंकि राजस्व रिकार्ड में भूमि बैंक के पक्ष में राहिन दर्ज हैं। अतः रहन मुक्त होने पर आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

डिक्री आज दिनांक 05.01.2021 को जारी की गई।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:13:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner